

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


क्र

मु.नं 22/11 तारीख रज 10/11/16

उक्तवाम - जगन लाल बनाम सोहनपाल वैद्य
 प्रार्थना पत्र स्पष्टानुदेश अन्तर्गत 39 नियम 2 (क) CPC के तहत
 CPC.

प्रार्थी की ओर से श्री ~~...~~ रामभरोसी गुप्ता A.B. ने प्रार्थना पत्र स्पष्टानुदेश अन्तर्गत 39 नियम 2 (क) CPC के तहत पेश किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन से तामब कर दिनांक 5/12/16 को पेश हो।

3580.85
 10.11.16


 उपजिला कलेक्टर
 टोडाभीम (करौली)

5/12/16 प्रार्थी वकील उपन अप्रार्थीगण की ओर से श्री सुरेश चंद शर्मा के वकालतनामा पेश किया। P.O. सादर करौली पदोरे की वास्ते जबल पेश करे दिनांक 22/12/16 को पेश हो।

9.1.17 वकूलाय उप। वादी वकील ने द. 022 R-3 CPC पेश की गकत दिलाई। वास्ते जबल द. 14.2.17 को पेश हो।

14.2.17 वकूलाय उप। ~~...~~ के कापममु सामान का वकालतनामा पेश किया। गतादुसाए वास्ते जबल दिनांक 9.3.17 को पेश हो।

9.3.17 वकूलाय उप। गतादुसाए दि. 6.4.17 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
6.3.18 <i>का.पि.</i>	वकुलाय उप. / प्रथी उपस्थित / मूल दावा Not Press का खारिज करार किया है। मूल दावा खारिज हो जाने से प्रथिना पत्र में कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अतः यह प्रथिना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली के साथ शुमार होकर नम्बर से कम होकर दावा पत्रावली के साथ लौटाने हेतु